तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तामील में ज
19-8-19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 7 तक अनुपस्थित है। अप्रार्थी की ओर से वकालत पत्र पेश नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण को तीन बार आवाज लगवाई गई फिर भी अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर एक तरफा बहस सुनी गई। विवादग्रस्त भूमि मौजा ओमरावाडा परवार हल्का ओमरावाडा तहसील खेरवाडा जिला जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता सं. नम्बरी 48 पुराना 41 की भूमि आराजी नं. 543, 544, 546, 558. 559 का कुल रकबा 3.04 है. जो प्रार्थी के खातेदारी भूमि है। जिसका एक वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act के तहत न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने एवं एक तरफा बहस पर मनन कर यह आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 तक मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे की वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कब्जा नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। वादग्रस्त भूमि की स्थिति यथावत बनाये रखें। अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे तथा मूलवाद पत्र के साथ नत्थी हो।	